an>

Title: Regarding alleged irregularities in a Cement Plant in Bhilai, Chhatisgarh.

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक विशेष तकलीफ की ओर दिलाना चाहती हूं। इस्पात मंत्रालय के अधीन सेल है और सेल के अधीन भिलाई इस्पात संयंत्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र के माध्यम से एक संयुक्त उपक्रम, भिलाई इस्पात संयंत्र ने, भिलाई क्षेत्र में स्थापित किया है और जेपी सीमेंट ग्रुप के साथ में यह उपक्रम स्थापित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान और इस पूरे सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि जो सीमेंट प्लांट वहां पर शुरु किया गया है, उससे वहां के लोगों को बहुत परेशानी है। उस प्लांट को जिस स्थान पर लगाया जाना था, उसे वहां न लगाकर सेल ने उसे किसी दूसरे स्थान पर लगाया है जो रिहायशी क्षेत्र है और इससे वहां के लोगों को परेशानी होती है। वहां पर 21.6.2006 को अनुमति दे दी गयी कि वे वहां पर अपना उत्पादन शुरु कर सकें। उत्पादन शुरु करने के बाद 8 जुलाई 2010 को जेपी ग्रुप के लिए स्थानीय शासन द्वारा एक इश्तहार निकाला गया। यह इश्तहार इस बात का द्योतक है कि प्लांट जिस स्थान पर लगना चाहिए था, उस स्थान पर न लगाकर जिस स्थान पर लगाया गया है वह स्थान ग्रीन-बैल्ट है। उसका भूमि परिवर्तन किये बिना उस स्थान पर प्लांट को स्थापित करके अगर वहां पर इश्तहार निकाला जाता है तो यह इस बात का द्योतक है कि वह घोर अनियमितता है और अगर घोर अनियमितता है तो इस बात का प्रतीक है कि वहां पर उस निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सेल, शासन और प्रशासन के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह निंदनीय है। रिहायशी क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले, मेरा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद।